

हमारे बैंक में जोखिम वर्गीकरण पर आधारित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार - चेक जारी करने संबंधी नीति:

हमारी केवाईसी-एएमएल नीति के तहत बैंक ने सभी ग्राहकों (मौजूदा के साथ-साथ नए) को जोखिम वर्गीकरण की श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है. चेक सुविधा के जारी करने के उद्देश्य से उसी वर्गीकरण को अपनाया जाता है और उसी को यहां प्रस्तुत किया है.

धन-शोधन जोखिम वर्गीकरण

ए. कम जोखिम:

धन-शोधन जोखिम वर्गीकरण के उद्देश्य से, जिन व्यक्तियों (उच्च मालियत वालों को छोड़कर) एवं संस्थाओं की पहचान और धन के स्रोत का निर्धारण आसानी से हो जाए तथा जिनके खातों में हुए संव्यवहार और किन्हीं परिचित प्रोफ़ाइल की पुष्टि करते हैं उन खातों को कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा वशर्ते वे कम जोखिम के रूप में ऐसे ग्राहकों के वर्गीकरण के लिए बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अन्य मानदंडों के अधीन है. कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में बैंक की नीति यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहक की पहचान तथा पते के प्रमाण जैसी मूल आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए.

बी. उच्च जोखिम:

जो ग्राहक बैंक में औसत धन-शोधन जोखिम से उच्चतर की स्थिति में हैं उन ग्राहकों को मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जोकि यह उनकी गतिविधि की पृष्ठभूमि, स्वरूप और स्थान, उद्गम देश, निधियों के स्रोत और उनके क्लार्ईट प्रोफ़ाइल, वार्षिक आय/ टर्न ओवर इत्यादि पर निर्भर करता है.

उपर्युक्त को देखते हुए बैंक ने यह रूपरेखा बनाई है

ए. उच्च/ मध्यम/ कम जोखिम वाले देशों की सूची (अनुलग्नक-जी)

बी. ग्राहक के खाते में वार्षिक आय/ टर्न ओवर पर आधारित जोखिम वर्गीकरण तालिका (अनुलग्नक-जी-1)
और

सी. ग्राहकों के विभिन्न प्रकार के धन-शोधन जोखिम वर्गीकरण के लिए जोखिम मेट्रिक्स तालिका
(अनुलग्नक-जी-2)

बैंक अपने जोखिम मानदंडों/ पैमानों में बाद में कोई भी परिवर्तन करता है तब अनुलग्नक-जी, जी-1 और जी-2 में भी संशोधन तथा सुधार करेगा.

बैंक द्वारा निर्मित जोखिम मेट्रिक्स तालिका में उल्लेखित अनुसार धन-शोधन जोखिम पैमाना/ मानदंडों के आधार पर बैंक सभी मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ नए ग्राहकों को विभिन्न धन-शोधन जोखिम वर्गीकरण अर्थात् कम, मध्य या उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है. (अनुलग्नक-जी-2)

बैंक खाता खोलते समय खाता खोलने संबंधी फॉर्म/ हस्ताक्षर कार्ड पर धन-शोधन जोखिम वर्गीकरण का स्टम्प लगाएगी और मौजूदा ग्राहकों के पहचान के दस्तावेज को अद्यतन करने के लिए आवधिक अंतरालों पर केवाईसी फॉर्म/ दस्तावेज प्राप्त करेगा.

बैंक ने सिस्टम द्वारा शाखाओं के ग्राहकों को धन-शोधन जोखिम वर्गीकरण (एमएलआरसी) के लिए इन-हाउस यूटिलिटी बनाई है, जिसमें सिस्टम द्वारा ही तीन प्रकार के जोखिम मानदंड (i) देश का अधिवास (ii) खाता में वार्षिक आय/ टर्न ओवर और (iii) ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए उत्पाद/ सेवा के प्रकार को ध्यान में लेते हुए वर्गीकरण हो ताकि मानवगत हस्तक्षेप की आवश्यकता न रहे एवं जोखिम वर्गीकरण में एकरूपता रहे.

डेटा सेंटर द्वारा उपर्युक्त पैरामीटर के आधार पर ग्राहकों के धनशोधन जोखिम वर्गीकरण (एमएलआरसी) तैयार किया गया है और उनकी जांच के उद्देश्य से इसे सीबीएस सिस्टम में सीयूएमएम /एचसीयूएमएम विकल्प में एमआईएस टैब के तहत फ्री कोड 1 पर पोपुलेटेड /मैटेन किया जाता है.

शाखाएं चौथे मानदंड यानी व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहकों की गतिविधियों की इस कारण से ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जारी धन शोधन जोखिम श्रेणी (एमएलआरसी) की दोबारा जांच/सत्यापन करेंगी कि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा इस मानदंड की पहचान नहीं हो पाएगी तथा इसके बारे में पूरी जानकारी तथा बाद की तारीख में अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो इसकी भी जानकारी शाखाओं को ही होंगी.

शाखाएं जैसा भी उचित प्रतीत हो, बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार एवं जैसा भी उचित प्रतीत हो, चौथे मानदंड या अन्य किसी मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा या सीयूएमएम /एचसीयूएमएम विकल्प में एमआईएस टैब के तहत फ्री कोड 2 में खाता खोलते समय दी गई जोखिम श्रेणी में उचित सुधार करेंगी. रिपोर्ट डाउनलोड करते समय ग्राहक की उच्च जोखिम श्रेणी, चाहे वो फ्री कोड 1 पर हो या फ्री कोड 2 पर हो, को ही सिस्टम द्वारा लिया जाएगा.

जब भी केवाईसी-एमएल नीति में ग्राहक की जोखिम श्रेणी को संशोधित किया जाता है तो यह संशोधन इस नीति में भी स्वतः ही हो जाएगा. वर्तमान वर्गीकरण निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 मार्च 2009 की अनुमोदित केवाईसी-एमएल नीति है.

सी. धनशोधन जोखिम श्रेणी की समीक्षा

बैंक विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खातों की जोखिम श्रेणी की एवं व्यापक बनाए गए ड्यू डिलिजंस उपायों को लागू करने की आवश्यकता की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करेगा. ग्राहक की जोखिम श्रेणी की इस तरह की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार आवधिक आधार पर छह महीने में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए. अतः बैंक प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करेगा.

चेक जारी करने संबंधी नीति :

सभी खाताधारकों को बचत, चालू, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट खातों के लिए चेकबुक जारी की जाएगी. निरक्षरों के एकल या संयुक्त खातों को छोड़कर नो फ्रील खातों में चाहे उनका नाम जो भी हो, जैसे कि नागरिक बचत खातों और लघु खातों में सीमित चेकबुक (10 चेक प्रति वर्ष) जारी की जाएगी.

बचत बैंक खाता में प्रति छःमाही में 20 चेक के पत्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. कितनी चेक बुक जारी की जाएं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. ग्राहक के विशेष अनुरोध पर और खातों में परिचालन के औचित्य के आधार पर तथा अनुदेश कोश, 2012 के चालू जमा खंड में दिये गए दिशानिर्देशों जिसे निम्नानुसार दोहराया जाता है के अनुसार खाताधारकों को मल्टीपल चेक बुक जारी की जा सकती है.

“यदि ग्राहक द्वारा इसके लिए विशेष अनुरोध किया जाता है और खातों में परिचालन द्वारा इसे उपयुक्त पाया जाता है तो “खाताधारकों को मल्टीपल चेकबुक जारी की जा सकती हैं.”

वैयक्तिक चेकबुक उन शाखाओं द्वारा जारी की जाएगी जो उस क्षेत्र के क्षेत्रीय बैंक कार्यालय (आरबीओ) से संबद्ध हैं.

जो शाखाएं आरबीओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं, वे ग्राहकों को सीधे ही चेक बुक जारी करेंगी. ग्राहकों को या ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शाखा में दिए गए प्राधिकार-पत्र के अनुसार उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को चेक बुक जारी की जाती है. जहां तक संभव हो चेक बुक थर्ड पार्टी को जारी नहीं की जाएगी.

जब पाया जाता है कि ग्राहक के खाते में लगातार चेक वापिस हो रहे हैं तो ग्राहक को आगाह किया जाता है. उस खाते के लिए कोई नया चेक बुक जारी नहीं किया जाएगा. साथ ही, शाखा चेकों के अनादर संबंधी नीति के अनुसार अपने विवेकाधिकार से खाते को बंद करने पर विचार कर सकती हैं.

बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी खाते में या सभी प्रकार के खातों में चेक बुक प्रभार लगा सकता है.

किसी भी उत्पाद में समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित उत्पाद की विशेषताओं के आधार पर निःशुल्क चेक बुक उपलब्ध कराई जाती है.

इंटर-सोल प्रभार:

अंतरण एवं समाशोधन समव्यवहारों के लिए इंटर – सोल प्रभार शून्य है.

नवीनतम सेवा प्रभारों के विवरण <http://www.bankofbaroda.co.in/servicecharges.asp> लिंक पर उपलब्ध है.

अनुलग्नक - जी

उच्च / मध्यम / निम्न जोखिम वाले देश की सूची

	उच्च जोखिम वाले देश		उच्च जोखिम वाले देश		उच्च जोखिम वाले देश
1	अफ़ग़ानिस्तान	36	गैम्बिया	71	निकारागुआ
2	अल्बानिया	37	जॉर्जिया	72	नाइजर
3	अल्जेरिया	38	ग्रेनेडा	73	नाइजीरिया
4	अंगोला	39	गुआडेलूप	74	उत्तरी कोरिया
5	अंगूलिया	40	ग्वाटेमाला	75	फ़िलिस्तीन
6	अर्जेंटीना	41	गिनी-बिसाऊ	76	रोमानिया
7	आर्मीनीय	42	गिनी	77	रवांडा
8	अरूबा	43	गयाना	78	साओ तोमे और प्रिन्सिपी
9	बारबाडोस	44	हैती	79	समोआ
10	बेनिन	45	होन्डुरस	80	सेनेगल
11	बोलिविया	46	इंडोनेशिया	81	सर्बिया और मोण्टेनेग्रो
12	बोस्निया और हर्ज़िगोविना	47	ईरान	82	सेशल्ल्स
13	बुर्किना फासो	48	इराक	83	सिएरा लियोन
14	बुरुंडी	49	जमैका	84	सोलोमन द्वीपसमूह
15	कंबोडिया	50	जॉर्डन	85	सोमालिया
16	कैमरून रिपब्लिक	51	केन्या	86	सेंट किट्स और नेविस
17	केप वर्ड	52	किर्गिज़िया/किर्गिज़स्तान/किर्गिज़ गणतंत्र	87	सेंट लूसिया
18	केमैन द्वीपसमूह	53	लाओस	88	सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेजियन्स
19	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	54	लेबनान	89	सूडान
20	चाड	55	लेसोथो	90	सूरीनाम
21	कोमरोस	56	लाइबेरिया	91	स्वाजीलैंड
22	कॉंगो	57	लिथुआनिया	92	सीरिया
23	कोट डिलवोइर	58	मेसिडोनिया	93	तजाकिस्तान
24	क्यूबा	59	मैडागास्कर	94	तंजानिया
25	कॉंगो गणराज्य	60	मलावी	95	टोगो
26	ज़िंबूती	61	माली	96	टोंगा

27	डोमिनिका	62	मौरीटानिया	97	तुर्कमेनिस्तान
28	तिमोर-लेस्त	63	मार्टीनिक	98	तुर्कर्स ऍंड कैकोज़
29	इक्वाडोर	64	मंगोलिया	99	यूगांडा
30	एस्टोनिया	65	मोंटेसेराट	100	उज़्बेकिस्तान
31	इथियोपिया	66	मोरक्को	101	वनुआटू
32	इक्वेटोरियल गिनी	67	मोज़ाम्बिक	102	वियतनाम
33	इरीट्रिया	68	म्यानमार	103	यमन
34	फ़िजी	69	नामीबिया	104	ज़ाम्बिया
35	गैबॉन	70	नाउरू	105	ज़िम्बाब्वे

	<u>मध्यम जोखिम वाले देश</u>		<u>मध्यम जोखिम वाले देश</u>		<u>मध्यम जोखिम वाले देश</u>
1	एंटीगुआ ऍंड बारबुडा	12	मिस्र	23	फ़िलिपींस
2	अज़रबैजान	13	अल साल्वाडोर	24	पोलैंड
3	बहरीन	14	घाना	25	रूस
4	बेलारूस	15	कज़ाकस्तान	26	स्लोवाकिया
5	ब्राज़ील	16	लातविया	27	थाईलैंड
6	बुल्गारिया	17	लीबिया	28	तुर्की
7	कोलंबिया	18	मालडोवा	29	यूक्रेन
8	कुक द्वीपसमूह	19	पनामा	30	उरुग्वे
9	कोस्टा रिका	20	पापुआ न्यू गिनी	31	वेनेज़ुएला
10	क्रोएशिया	21	पैराग्वे		
11	डोमिनिकन गणराज्य	22	पेरू		

	<u>निम्न जोखिम वाले देश</u>		<u>निम्न जोखिम वाले देश</u>		<u>निम्न जोखिम वाले देश</u>
1	अमेरिकन समोआ	30	ग्रीस	59	ओमान
2	अंडोरा	31	ग्रीनलैंड	60	पाकिस्तान
3	ऑस्ट्रेलिया	32	गुवाम	61	पनामा नहर क्षेत्र
4	ऑस्ट्रिया	33	हॉंग कॉंग	62	पुर्तगाल
5	बहामास	34	हंगरी	63	पुर्तो रिको
6	बांग्लादेश	35	आइसलैंड	64	कतर
7	बेल्जियम	36	आयरलैण्ड	65	रीयूनियन द्वीपसमूह

8	बर्मुडा	37	इज़राइल	66	सउदी अरब
9	भूटान	38	इटली	67	सिंगापुर
10	बोत्सवाना	39	जापान	68	स्लोवेनिया
11	ब्रिटिश प्रशांत द्वीपसमूह	40	कुवैत	69	दक्षिण अफ्रीका
12	ब्रुनेई	41	लीवर्ड द्वीपसमूह	70	दक्षिण कोरिया
13	कनाडा	42	लिस्टेंस्टीन	71	स्पेन
14	कैनरी द्वीपसमूह	43	लक्ज़मबर्ग	72	श्रीलंका
15	चैनल द्वीपसमूह	44	मकाउ	73	सेंट हेलेना एवं असेंशियन
16	चिली	45	मलेशिया	74	सेंट पियर एवं मिकलान
17	चीन	46	मालदीव्स	75	स्वीडन
18	सायप्रस	47	माल्टा	76	स्विजरलैंड
19	चेक गणराज्य	48	मॉरीशस	77	ताइवान
20	डेनमार्क	49	मयोटे	78	त्रिनिदाद और टोबैगो
21	फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह	50	मैक्सिको	79	ट्यूनीशिया
22	फरो द्वीप-समूह	51	मोनाको	80	संयुक्त अरब अमीरात
23	फ़िनलैंड	52	नेपाल	81	यूनाइटेड किंगडम
24	फ़्रांस	53	नीदरलैंड एंटीलीज़	82	संयुक्त राज्य अमेरिका
25	फ़्रेंच गिनी	54	नीदरलैंड वेस्ट इंडीज़	83	संयुक्त राज्य प्रशांत द्वीपसमूह
26	फ़्रेंच प्रशांत द्वीपसमूह	55	नीदरलैंड	84	वैटिकन सिटी
27	फ़्रेंच पश्चिम द्वीपसमूह	56	न्यूज़ीलैंड	85	वर्जिन द्वीपसमूह
28	जर्मनी	57	नॉर्फ़ोक द्वीपसमूह	86	इंडिया
29	जिब्राल्टर	58	नॉर्वे		

अनुलग्नक – जी-1

ग्राहक के खाते में वार्षिक आय या टर्न ओवर पर आधारित ग्राहकों का जोखिम वर्गिकरण

उच्च जोखिम वाले ग्राहक

श्रेणी/ राज्य	वार्षिक आय/ टर्न ओवर
व्यक्ति	रु.100/- लाख एवं उससे अधिक
एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान	रु. 5/- करोड़ एवं उससे अधिक
साझेदार फर्म	रु. 10/- करोड़ एवं उससे अधिक
लिमिटेड कंपनियां (सार्वजनिक एवं निजी दोनों)	रु. 50/- करोड़ एवं उससे अधिक
ट्रस्ट	टर्नओवर के बावजूद
संस्था, क्लब इत्यादि.	टर्नओवर के बावजूद

मध्यम जोखिम वाले ग्राहक

श्रेणी/ राज्य	वार्षिक आय/ टर्न ओवर
व्यक्ति	रु.10/- लाख से अधिक परंतु रु.100/- लाख से कम
एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान	रु.1/- करोड़ से अधिक परंतु रु.5/- करोड़ से कम
साझेदार फर्म	रु.5/- करोड़ से अधिक परंतु रु.10/- करोड़ से कम
लिमिटेड कंपनियां (सार्वजनिक एवं निजी दोनों)	रु.10/- करोड़ से अधिक परंतु रु.50/- करोड़ से कम

कम जोखिम वाले ग्राहक

श्रेणी/ राज्य	वार्षिक आय/ टर्न ओवर
व्यक्ति	रु.10/- लाख तक (रु.10/- लाख सहित)
एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान	रु.1/- करोड़ तक (रु.1/- करोड़ सहित)
साझेदार फर्म	रु.5/- करोड़ तक (रु.5/- करोड़ सहित)
लिमिटेड कंपनियां (सार्वजनिक एवं निजी दोनों)	रु.10/- करोड़ तक (रु.10/- करोड़ सहित)

जोखिम मैट्रिक्स तालिका

अनुलग्नक जी-2

अधिवास देश/गतिविधि/व्यवसाय की प्रकृति/ सेवा/वार्षिक आय/टर्न ओवर

क्रम सं.	ग्राहकों के प्रकार	निवासी देश/ विरोधी पक्ष	जोखिम स्तर	गतिविधि/व्यवसाय की प्रकृति/ सेवा	जोखिम स्तर	वार्षिक आय / टर्न ओवर	जोखिम स्तर	4, 6 एवं 8 का उच्चतम
01	02	03	04	05	06	07	08	09
ए	वैयक्तिक	उच्च जोखिम देशों, अधिक उच्च जोखिम, एनसीसीटी- गैर सहयोगी देशों एवं राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	उच्च	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्ति (PEPs) अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्हें विदेशों में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया हो अथवा महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हों. 2. उच्च मालियत वाले वैयक्तिक. 3. अनिवासी भारतीय. 4. पुरानी वस्तुओं, हथियारों, मनी सर्विसेज ब्यूरो से संबन्धित व्यक्ति. 5. सम्पदाओं के संरक्षक, निष्पादक, प्रशासक, हस्तांतरिती, प्राप्तकर्ता आदि. 6. ग्राहकों की श्रेणी की ओर से वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रबंध किए जा रहे जमा खातें. 7. उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों/वैयक्तिकों. 	उच्च	रू. 100/- लाख और उससे अधिक	उच्च	

		मध्यम / मध्यम जोखिम देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	मध्यम	ऐसे खाते जो कम जोखिम या उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें मध्यम जोखिम के अंतर्गत रखा जा सकता है.	मध्यम	रु. 10 लाख से अधिक लेकिन रु. 100 लाख से कम	मध्यम	
		कम जोखिम / अन्य देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	कम	<ol style="list-style-type: none"> 1. उच्च मूल्यवर्ग के अतिरिक्त वैयक्तिक. 2. स्पष्ट वेतन संरचना वाले वेतनभोगी वैयक्तिक. 3. खाते में लघु टर्न ओवर वाले कम आय समूह के वैयक्तिक. 4. सभी उधारकर्ता ग्राहक (उच्च जोखिम श्रेणी के अलावा), जिनके ऋण स्वीकृति के समय यथोचित कार्रवाई की गयी है. 	कम	रु. 10 लाख तक और रु. 10 लाख सहित	कम	
बी	एकल स्वामित्व	उच्च जोखिम देशों, ज्यादा उच्च जोखिम, एनसीसीटी- गैर सहयोगी देशों एवं राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	उच्च	<ol style="list-style-type: none"> 1. पुरानी वस्तुओं, हथियारों, मनी सर्विसेज ब्यूरो से संबन्धित इकाईयां. (इकाईयां, इसके कर्मचारी नहीं) 2. ग्राहकों की श्रेणी की ओर से वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रबंध किए जा रहे जमा खातें. 	उच्च	रु. 5 करोड़ और उससे अधिक	उच्च	
		मध्यम / मध्यम जोखिम देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	मध्यम	ऐसे खाते जो कम जोखिम या उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें मध्यम जोखिम के अंतर्गत रखा जा सकता है.	मध्यम	रु. 1/- करोड़ से अधिक लेकिन रु. 5 करोड़ से कम	मध्यम	

		कोई भी हो)						
		कम जोखिम / अन्य देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	कम	सभी उधारकर्ता ग्राहक (उच्च जोखिम श्रेणी के अलावा), जिनका ऋण स्वीकृति के समय यथोचित कार्रवाई की गयी है.	कम	रु. 1/- करोड़ तक और रु. 1/- करोड़ सहित	कम	
सी	साझेदारी	उच्च जोखिम देशों, ज्यादा उच्च जोखिम, एनसीसीटी- गैर सहयोगी देशों एवं राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	उच्च	1. निष्क्रिय साझेदारी वाले फर्म 2. पुरानी वस्तुओं, हथियारों, मनी सर्विसेज ब्यूरो से संबन्धित इकाईयां. (इकाईयां, इसके कर्मचारी नहीं) 3. ग्राहकों की श्रेणी की ओर से वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रबंध किए जा रहे जमा खातें.	उच्च	रु. 10 करोड़ और उससे अधिक	उच्च	
		मध्यम / मध्यम जोखिम देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	मध्यम	ऐसे खाते जो कम जोखिम या उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें मध्यम जोखिम के अंतर्गत रखा जा सकता है.	मध्यम	रु. 5/- करोड़ से अधिक लेकिन रु. 10 करोड़ से कम	मध्यम	
		कम जोखिम / अन्य देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	कम	सभी उधारकर्ता ग्राहक (उच्च जोखिम श्रेणी के अलावा), जिनके ऋण स्वीकृति के समय यथोचित कार्रवाई की गयी है.	कम	रु. 5/- करोड़ तक और रु. 5/- करोड़ सहित	कम	

डी	सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कंपनियाँ	उच्च जोखिम देशों, ज्यादा उच्च जोखिम, एनसीसीटी- गैर सहयोगी देशों एवं राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	उच्च	<ol style="list-style-type: none"> 1- जैसी कंपनियाँ, जिनके शेयरधारक परिवार के सदस्य हैं. 2- पुरानी वस्तुओं, हथियारों, मनी सर्विसेज ब्यूरो से संबन्धित इकाईयां. (इकाईयां, इसके कर्मचारी नहीं) 3- ग्राहकों की श्रेणी की ओर से वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रबंध किए जा रहे जमा खातें. 	उच्च	रु. 50 करोड़ और उससे अधिक	उच्च	
		मध्यम / मध्यम जोखिम देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	मध्यम	ऐसे खाते जो कम जोखिम या उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें मध्यम जोखिम के अंतर्गत रखा जा सकता है.	मध्यम	रु. 10/- करोड़ से अधिक लेकिन रु. 50 करोड़ से कम	मध्यम	
		कम जोखिम / अन्य देशों (राष्ट्रीयता चाहे कोई भी हो)	कम	<ol style="list-style-type: none"> 1. चालू खाताधारक ग्राहक, जो सूचीबद्ध कंपनियाँ, विनियमित इकाईयां आदि हैं, जहां पब्लिक डोमेन में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है. 2. सभी उधारकर्ता ग्राहक (उच्च जोखिम श्रेणी के अलावा), जिनके ऋण स्वीकृति के समय यथोचित कार्रवाई की गयी है 3. सरकारी विभागों और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ, नियामकों और नियामक और सांविधिक निकायों आदि. 	कम	रु. 10/- करोड़ तक और रु. 10/- करोड़ सहित	कम	

ई	ट्रस्ट	किसी भी देश का निवासी होने के बावजूद	उच्च	ट्रस्ट चाहे उनकी गतिविधि / व्यवसाय कोई भी हो.	उच्च	टर्नओवर के बावजूद	उच्च	
			उच्च	म्यूचुअल निधि, पेंशन निधि इत्यादि जैसी इकाईयां जिनके जमा खाते का प्रबंधन पेशेवर मध्यस्थों द्वारा किया गया हो चाहे उनकी कोई भी गतिविधि / व्यवसाय हो.	उच्च	टर्नओवर के बावजूद	उच्च	
एफ	संस्थाएं, क्लब आदि	किसी भी देश का निवासी होने के बावजूद	उच्च	ऐसी संस्था, क्लब, चैरिटी, गैर सरकारी संस्थाएं जो अनुदान प्राप्त करती हों चाहे उनकी गतिविधि / व्यवसाय कोई भी हो.	उच्च	टर्नओवर के बावजूद	उच्च	

नोट – पहले श्रेणी के ग्राहकों को कॉलम “3”, “5” एवं “7” के आधार पर कॉलम सं. “4” “6” एवं “8” में अलग से क्रमशः उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम में वर्गिकृत करें. उसके बाद ग्राहकों को “4” “6” एवं “8” में से जो भी उच्चतम हो उस जोखिम श्रेणी को कॉलम सं. “9” में दर्शाएँ.

उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, कम जोखिम में ग्राहकों का आधारित वर्गीकरण